

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक - 304/BEP/MP2

दिनांक- 30/12/16

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

सरस्वती विद्या मंदिर

केशव नगर, सदतपुर, मुजफ्फरपुर

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 30.8.16 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता)..... की कक्षा से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।


प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:


1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण जाएगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैंपिटेसन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:

- i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित, न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त लेंगे।
- vii. शिक्षा अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- viii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:-
विद्यालय - परिसर का क्षेत्रफल:
कुल निर्मित क्षेत्र:
खेल के मैदान का क्षेत्र:
वर्गकक्षों की कुल संख्या:
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;
पेयजल की सुविधा;
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
बाधारहित पहुँच;
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय;
11. कोई भी वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।



15. लक्ष्य विवेक, संकेतिका एवं उसके प्रसंगिकता चार्ट्स एकत्रित के द्वारा विद्यालय और विभिन्न विद्यालयों के लक्ष्य में उपयुक्त लेखा धितरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवेक के एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसूचित कोड संख्या 361/BEP/MU2 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. विदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रसूचित की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन के संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सौसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।


30/12/16

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान)
बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर



Affiliation No: 330839

Estd: 2015

School No: 65834

SARASWATI VIDYA MANDIR

Keshavnagar, Sadatpur, Muzaffarpur – 843108, Bihar

Secondary School

Run & Managed by Lok Shiksha Samiti Bihar (Regd. No. 141 / 1998-99)



RTE Reg. No: 361/BEP/Muz Mobile No's: 8002932367, 9939042255, 7280042700 U-DISE No: 10140614303
Website: svmmuzaffarpur.org E-mail: svmmuzaffarpur@gmail.com E-mail: principal.svmmuzaffarpur@gmail.com

पत्रांक : 09/2078

युगाब्द: 5123

दिनांक: 18-06-2021

सेवा में,

श्रीमान जिला शिक्षा अधीक्षक सह सचिव ~~शिक्षा~~ कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)
प्रस्वीकृति समिति
जिला-मुजफ्फरपुर

विषय :

मान्य महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि भवदीय कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (सर्व शिक्षा अभियान) पत्रांक – 304/BEP Muz दिनांक 30.12.2016 के आलोक में इस विद्यालय को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कृपया संलग्नक देखें।

विगत शैक्षणिक सत्रों में विद्यालयीय आंकड़े विहित पद्धति से प्रेषित किए जाते रहे हैं।

अतएव श्रीमान से आग्रह है कि वे 2019-20 से आगामी शैक्षणिक सत्रों के लिए आपके द्वारा प्रदत्त औपबन्धिक स्वीकृति का नवीकरण (Renewal) करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें

साभार

भवदीय

22/06/2021
ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव

प्रधानाचार्य

सरस्वती विद्या मन्दिर
केशवनगर, सदातपुर, मुजफ्फरपुर

नकुल कुमार शर्मा
नकुल कुमार शर्मा

सचिव

सरस्वती विद्या मन्दिर
केशवनगर, सदातपुर, मुजफ्फरपुर

अनुलग्नक :

1. भवदीय पत्रांक – 304/BEP Muz दिनांक 30.12.2016
2. संलग्नकों सहित भवदीय प्रपत्र 1